

फैसला सुरक्षित

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
रिट याचिका संख्या 722/2020 एस/एस
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

शिवानी रावत पुत्र
श्री सुनील रावत,
निवासी हाउस नंबर 5, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर, रायपुर,
जिला देहरादूनवादी
बनाम्
उत्तराखण्ड राज्य और अन्यप्रतिउत्तरदाता

के साथ

रिट याचिका संख्या 723/2020 एस/एस

1. आशुतोष बडोनी,
पुत्र श्री हरिकृष्णा बडोनी,
निवासी पीपोला, ढुंगमंदर, पीपोला, घोंटी, जिला टिहरी गढ़वाल
2. सुभाष चंद्र डबराल पुत्र चंद्र मणि डबराल,
निवासी 82 रेस कोर्स, ब्लॉक. सी, ऑफिसर्स कॉलोनी के पास,
देहरादून, जिला देहरादून.....वादी

इसके बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य..... प्रतिउत्तरदाता

के साथ

रिट याचिका संख्या 727/2020 एस/एस

प्रेमलता गुंसाई

पुत्री स्वर्गीय रंजीत सिंह गुंसाई, निवासी सी. 111, जी. टी. एम. हरिद्वार रोड, वन लवाना और हिल्स पोस्ट. आई. आई. पी.
मोहकमपुर, जिला जिला देहरादून.....वादी

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य..... प्रतिउत्तरदाता

के साथ

रिट याचिका संख्या 902/2020 एस/एस

1. माता प्रसाद सेमवाल

पुत्र श्री रामचंद्र सेमवाल, निवासी दीप नगर, अजबपुर कलां, देहरादून, जिला देहरादून

2. अशोक कुमार बडोनी, पुत्र श्री आर. सी. बडोनी,

निवासी गाँव मियांवाला, पोस्ट आफिस हर्वाला,

देहरादून, जिला देहरादून.....वादी

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य..... प्रतिउत्तरदाता

श्री सुभाष उपाध्याय, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

सुश्री अंजलि भार्गव और श्री पी. सी. बिष्ट, अतिरिक्त निदेशक सी. एस. सी. के साथ श्री सुशील वशिष्ठ, स्थायी अधिवक्ता और श्री नारायण दत्त और सुश्री इंदु शर्मा, राज्य के संक्षिप्त धारक।

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

चूँकि उपरोक्त याचिकाओं में निहित विवाद एक ही है, इसलिए इन याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. मौजूदा याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष मांगे हैं:

"(i) सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश अभिलेखों की मांग करने और निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 11 जून 2020 को जारी किए गए पत्राचार के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, देहरादून द्वारा 12 जून 2020 को जारी किए गए परिणामी पत्राचार जिसके तहत सरकारी आदेश 23.11.2016 के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के कारण उनके मूल संवर्ग से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है, को रद्द करने के निर्देश दिए जायें।

(ii) अभिलेख को मंगाने और शिक्षा सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.09.2018, एवं निदेशक शिक्षा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.10.2019, तथा उप शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2019 को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई की प्रकृति में रिट या निर्देश जारी करें।

(iii) अभिलेखों को मंगाने और जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), देहरादून द्वारा पारित आक्षेपित अनुतोष आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उनकी नियुक्ति के मूल स्थान के सम्बन्ध में दिनांक 10 अगस्त 2020 को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई की प्रकृति में रिट या निर्देश जारी करें।

(iv) एक रिट परमादेश या निर्देश या एक उपयुक्त रिट इस आशय की जारी करें कि आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा अपनी पसंद के व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने में की गई अनियमितताओं/अवैधताओं के संबंध में एक स्वतंत्र जांच करने के लिए अनिवार्य रूप से, उन्हें इस आधार पर स्थानांतरण से आश्रय प्रदान करें कि उनके मामले में निर्णय लिया जा रहा है जैसा कि स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है और अब उन्हें नियुक्ति के मौजूदा स्थान पर रखा गया है।

(v) एक रिट परमादेश या निर्देश या एक उपयुक्त रिट स्वतंत्र जांच हेतु इस आशय का जारी करें कि दिनांक 12.2.2019 और दिनांक 7.8.2019 पर जारी कुर्की परमादेशों के कुर्की करना में एक स्वतंत्र जांच करने के लिए अनिवार्य रूप से, जिसके द्वारा उनकी पसंद के कर्मचारियों को प्रतिवादी संख्या द्वारा संलग्न/अवशोषित किया जा रहा है।”

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाओं के इन समूह में निहित विवाद का फैसला इस न्यायालय द्वारा राजेन्द्र प्रसाद बड़ौनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य डब्ल्यू0 पी. एस. एस. संख्या 2601/2019 में पहले ही दिनांक 19.11.2020 को अनपूरित मामले में किया जा चुका है इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता योग्यता के आधार पर मामले पर बहस नहीं करना चाहते हैं।

4. तदनुसार रिट याचिकाएं राजेन्द्र प्रसाद बड़ौनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य डब्ल्यू0 पी. एस. एस. संख्या [2601/2019](#) के अनपूरित मामले में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.11.2020 के अनुसार खारिज की जाती हैं।

5. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(लोक पाल सिंह, जे.)

ममता

तारीख: 25.01.2021